फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय न्यायाधीश, बाल न्यायालय,
बालक अधिकार सरंक्षण आयोग अधिनियम, 2005, अजमेर

राजस्थान राज्य बनाम सैयद शाहनवाज
सेशन प्रकरण संख्या 55/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.12.2024	लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्त सैयद शाहनवाज मय अधिवक्ता श्री अजय वर्मा उपस्थित। उभय पक्ष की चार्ज बहस सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत चार्जशीट के साथ संलग्न तहरीर रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्द चैकिंग एवं दस्तयाबी बालश्रमिक, नक्शा मौका घटना स्थल, फर्द पेशकशी एवं जब्ती एक विडियो रिकॉडिंग सी.डी., धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण–पत्र, मेडिकल व एक्सरे रिपोर्ट, कार्यालय आदेश, कथन गवाहान व अन्य सुसंगत दस्तावेज के अवलोकन से इस स्तर प्रथम दृष्टया अभियुक्त के विरूद्ध धारा 79 किशोर न्याय अधिनियम व धारा 374 भा.दं.सं. व धारा 3/14 बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 का आरोप विरचित किये जाने के पर्याप्त आधार होने से , अभियुक्त को उक्त धाराओं के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये, तो अभियुक्त ने आरोप सुन–समझकर आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही। अभियोजन साक्ष्य सूची के गवाह संख्या–5 को जरिये सम्मन व शेष गवाहान को निम्न प्रकार से जरिये जमानती वारंट 1,000/– रूपये के तलब किया जावे– दिनांक 20.01.2025 गवाह संख्या 1, 2 व 3 दिनांक 21.01.2025 गवाह संख्या 4, 5 व 6 दिनांक 22.01.2025 गवाह संख्या 7, 8 व 9 पत्रावली साक्ष्य अभियोजन हेतु सर्वप्रथम दिनांक 20.01.2025 को पेश हो।	